



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

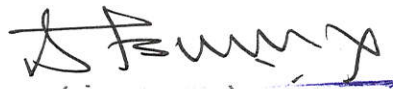
(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता कार्यपालन अभियंता, (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, कांकर द्वारा कोण्डागांव जिले के केशकाल वन मंडल के परिक्षेत्र केशकाल के ग्राम जामगांव में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में 132/33 के व्ही उपकेन्द्र निर्माण हेतु रकबा 3.24 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकर वृत्त के अनुशंसा से सहमत होते हुए वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 12/01/2023

स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर


(Sanjay Shukla) I.F.S.
प्र.म.घ.स. एवं वन बल प्रमुख
Principal Chief Conservator of Forests
Deptt. of Forest & Climate Change
Aranya Bhawan, Nawa Raipur (C.G.)



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-187/124

रायपुर, दिनांक 13/01/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for 132/33 KV Sub-Station area 3.24 ha. at Kanker Forest Division in District Kaondagaon in State of Chhattisgarh- reg.

— पंजीयन क्रमांक- FP/CG/Sub Station/ 145115/2021

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक, कांकर वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. चि./2022/ 2230 दिनांक 08.08.2022 एवं पत्र क्रमांक 3715 दिनांक 14.12.2022

-00-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा कार्यपालन अभियंता, (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, कांकर द्वारा कोण्डागांव जिले के केशकाल वन मंडल के परिक्षेत्र केशकाल के ग्राम जामगांव में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण हेतु रकबा 3.24 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, कांकर वृत्त, कांकर द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-3 में अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया है।

कार्यालय नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के परीक्षण उपरांत 44 बिन्दु चेकलिस्ट अनुसार प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्रमांक -1 आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 02 तक) - कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित, कांकर द्वारा कोण्डागांव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु मांग किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -2 प्रपत्र- I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 03 तक) - आवेदक विभाग के मांग अनुसार प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/Sub Station/ 145115/2021 दिनांक 29.11.2021 को आबंटित किया गया है। प्रपत्र-1 में रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्ज किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -3 वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 04) - कोण्डागांव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र हेतु निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.3 से 0.4 है।

बिन्दु क्रमांक -4 गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 05) – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु गैर वन भूमि प्रस्तावित नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -5 प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 06 से 08 एवं डीजीपीएस रिपोर्ट) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया की मूल टोपोशीट क्रमांक 64 एच/12, 1:50,000 स्केल मानचित्र पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को चिन्हित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, केशकाल वन मंडल द्वारा हस्ताक्षित है।

बिन्दु क्रमांक -6 वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 09 से 11 तक) – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप एवं 10 कि.मी परिधि का वेजिटेशन मूल टोपोशीट क्रमांक 64 एच/12 एवं क्रमांक 65 ई/9, 1:50000 स्केल में चिन्हित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, केशकाल वन मंडल द्वारा हस्ताक्षित है।

बिन्दु क्रमांक -7 प्रपत्र -4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 12 से 23 तक) – कोण्डागांव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र हेतु निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु वन मंडलाधिकारी केशकाल वन मंडल द्वारा जारी प्रपत्र-4 प्रस्ताव में संलग्न है। उपकेन्द्र स्थापना हेतु घटकवार निम्नानुसार भूमि की आवश्यकता होगी:-

क्र.	कार्य का मद	रकबा (हे. में)
1	132/33 के.व्ही यार्ड	1.562
2	नियंत्रण कक्ष	0.050
3	रोड/केबल ट्रेंच	0.100
4	फ़्यूचर – बे	1.528
	योग	3.240

बिन्दु क्रमांक -8 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 24 से 28 तक) – कोण्डागांव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र हेतु निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि की मांग की गई है। चयनित वन भूमि भौगोलिक दृष्टि से उपयुक्त है। प्रस्ताव अनुसार परियोजना की कुल लागत 21.00 करोड़ रुपये है। परियोजना का लागत विवरण भी प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -9 वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 29-30) – आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में वन भूमि के बदले वन विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु मांग किये जाने वाली राशि जमा करने हेतु वचनवद्ध है, इस आशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -10 न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 31 से 32) – कोण्डागांव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र हेतु निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी, केशकाल का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -11 पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 33) – प्रस्तावित कार्य हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –12 वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 34 से 48) – 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र हेतु निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि में विभिन्न प्रजाति के 160 नग वृक्ष विद्यमान है। प्रस्ताव में फार्म 1(a) एवं 1(b) में कुल वृक्षों की संख्या एवं आयतन का विवरण दिया गया है तथा मार्किंग बुक की छाया प्रति भी प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –13 कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 49) – प्रकरण में प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल 20 हे. से कम होने के कारण लागू नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –14 चयनित गैर वनक्षेत्र /निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 50 तक) – प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के परिक्षेत्र दुर्गुकोंदल के ग्राम घोटुलमुण्डा प.ह.न. 04 के खसरा क्र. 92 में समतुल्य राजस्व भूमि 3.24 हे. में प्रस्तावित है। कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 27.12.2022 संलग्न है। खसरा फार्म पी-2 प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 75 एवं 76 में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –15 गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 51) – प्रस्तावित परियोजना में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित राजस्व भूमि के आसपास का नक्शा संलग्न है। नक्शा प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 77 में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –16 स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 52 से 84) – वन संरक्षण अधिनियम के गाईड लाईन अनुसार 132/33 के.व्ही उपकेन्द्र निर्माण के प्रस्तावित प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के परिक्षेत्र दुर्गुकोंदल के ग्राम घोटुलमुण्डा प.ह.न. 04 के खसरा क्र. 92 में समतुल्य राजस्व भूमि 3.24 हे. चयन कर वृक्षारोपण योजना 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र रिपोर्ट सहित प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –17 वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 85) – परियोजना के विरुद्ध पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के परिक्षेत्र दुर्गुकोंदल के ग्राम घोटुलमुण्डा प.ह.न. 04 के खसरा क्र. 92 में समतुल्य राजस्व भूमि 3.24 हे. चयन किया गया है जो परिक्षेत्र अधिकारी दुर्गुकोंदल, उप वन मंडलाधिकारी, भानुप्रतापपुर एवं वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा की गई संयुक्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।

बिन्दु क्रमांक –18 अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 86 से 87) – प्रस्तावित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –19 अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 88) – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण विवरण निरंक है।

बिन्दु क्रमांक –20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 89) –प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की प्रस्तावित कार्यवाही निरंक है।

बिन्दु क्रमांक –21 वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 90) – प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के परिक्षेत्र दुर्गुकोंदल के ग्राम घोटुलमुण्डा प.ह.न. 04 के खसरा क्र. 92 में समतुल्य राजस्व भूमि 3.24 हे. का चयन किया गया है। अतः गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –22 कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 91) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत उपकेन्द्र निर्माण से संबंधित होने के कारण कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –23 रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 92) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन निर्माण से संबंधित होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –24 माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 93) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत उपकेन्द्र निर्माण से संबंधित होने के कारण आई.बी.एम. नागपुर से माईनिंग प्लान अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –25 व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 94) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत उपकेन्द्र निर्माण में प्रभावित वन एवं राजस्व वन भूमि में किसी भी प्रकार का व्यवस्थापन नहीं किया गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –26 वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 95 से 105) – प्रस्तावित 3.24 हे. वन भूमि के लिए वनमंडलाधिकारी केशकाल का प्रतिवेदन (प्रपत्र III एवं भाग 2) एवं मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का प्रतिवेदन (भाग-3) संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदित वन भूमि का वन घनत्व 0.3 से 0.4 है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के 160 नग वृक्ष विद्यमान है। दिनांक 04.02.2022 को भौतिक निरीक्षण के आधार पर वन मंडलाधिकारी केशकाल ने आवेदित क्षेत्र पर गैर वानिकी प्रयोजन में देने की अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक, कांकेर ने वन मंडलाधिकारी केशकाल के सुझाव पर सहमति व्यक्त करते दिनांक 08.08.2022 से व्यपवर्तन प्रस्ताव की अनुशंसा की है।

– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत पूर्ण अनुमति लेने का अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया है। वन मंडलाधिकारी केशकाल द्वारा प्रस्ताव राष्ट्रहित / जनहित होने के कारण आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि का भौतिक निरीक्षण कर गैर वानिकी प्रयोजन की अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा पर सहमत होते हुए मुख्य वन संरक्षण द्वारा प्रस्ताव पर अनुशंसा व्यक्त की गई है। अतः उपरोक्त अनुशंसा से सहमत होते हुए भाग-4 में अनुशंसा संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –27 ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 106) – प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र हेतु आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन नहीं होने का वन मंडलाधिकारी, केशकाल का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –28 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 107 से 114) – प्रस्तावित परियोजना 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र हेतु निर्माण हेतु ग्राम जामगांव परिक्षेत्र केशकाल में स्थित संरक्षित वनखण्ड अडेंगा के कक्ष क्रमांक पी 1259 में रकबा 3.24 हे. वन भूमि व्यपवर्तन हेतु ग्राम पंचायत जामगांव का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –29 जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) (प्रस्ताव पृष्ठ 115) – प्रस्ताव अनुसार जिले में कुल वन भूमि 408407.00 हे. है।

बिन्दु क्रमांक –30 व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में. (प्रस्ताव पृष्ठ 116) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कोण्डागांव जिले की केशकाल वन मंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों की संख्या 14 एवं प्रत्यावर्तित वन रकबा 297.838 हे. है। विभागवार स्वीकृत प्रकरणों का विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक –31 व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.मे (प्रस्ताव पृष्ठ 117) – केशकाल वन मंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसी श्रेणी के 65.040 हे. राजस्व वन भूमि व्यपवर्तित हुआ है।

बिन्दु क्रमांक –32 प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 118 डी) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत लाईन निर्माण के अंतर्गत 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित /प्रस्तावित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, केशकाल एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –33 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 119) – प्रस्तावित परियोजना खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक –34 वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 120 से 125) – भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.-11-9/1998-FC-दिनांक 03.08.2009 एवं दिनांक 05.02.2013 के अनुक्रम में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के प्रस्ताव में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर कांकेर का प्रमाण पत्र दिनांक 27.11.2021 को जारी एनेक्चर-I एवं II एवं प्रदर्श-स की मूल प्रति तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रदर्श-ब की मूल प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –35 राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 126 से 127) – प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिए 3.24 हे. वनभूमि भी प्रस्तावित है। अतः राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर, जिला कांकेर का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 27.11.2021 की प्रति संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –36 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 128 से 129) – शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की दर जो भी वन विभाग तय करेगा वह राशि छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या. संभाग कांकेर जमा करने हेतु वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक –37 Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 130) – वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जो भी राशि शर्त अनुसार निर्धारित है उसे आवेदक संस्थान से CAMPA निधि में तत्काल जमा कराया जावेगा।

बिन्दु क्रमांक –38 “A detailed note on Soil Productivity or the lack of it” (प्रस्ताव पृष्ठ 131) – आवेदित वनभूमि में भूमि की प्राकृतिक माप प्रायः चिकनी एवं दोमट मिट्टी है।

बिन्दु क्रमांक –39 परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 132 से 133) – आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पूर्व कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -40 Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 134) – प्रस्तावित प्रकरण 500 हेक्टेयर से कम होने के कारण वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -41 पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 135 से 136) – आवेदक से पंजीयन शुल्क मूल्य 6000/- एवं प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क मूल्य 18,000/- कुल मूल्य 24000/- की राशि वनमण्डलाधिकारी केशकाल वन मंडल के पी. डी. खाता में जमा किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -42 वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 137) – लागू नहीं।

बिन्दु क्रमांक -43 विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 138) – प्रस्तावित प्रकरण हेतु आवश्यक नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -44 प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 139) – प्रस्ताव में अन्य कमियां नहीं हैं।

प्रकरण का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साइट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव तैयार की गई है। अतः मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:-
1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में मय डीजीपीएस रिपोर्ट
2. भाग-4
3. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. सं. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/ विद्युत/ 479-187/ 125
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 13/01/2023

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. वनमण्डलाधिकारी, केशकाल / पूर्व भानुप्रतापपुर वन मण्डल, छत्तीसगढ़।
3. कार्यपालन अभियंता (सिविल), संभाग छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण लाईन कंपनी लिमि. कांकेर, छ.ग.।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़